सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	चैत्र 18, गुरूवार, *शाके* 1943–अप्रेल 8, 2021 *Chaitra 18, Thursday, Saka 1943- April 8, 2021*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कृषि (ग्रुप-2)विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 01, 2021

संख्या प.4(3)कृषि/ग्रुप-2/2021 :-राजस्थान सरकार कृषि विभाग जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 05.05.1967 के द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति, (अनाज) उदयपुर की स्थापना की गई थी।

अब कृषि उपज मण्डी समिति, (अनाज) उदयपुर द्वारा मण्डी क्षेत्र के ग्राम बलीचा में नवीन मण्डी प्रांगण को गौण मण्डी यार्ड बलीचा घोषित किये जाने का निर्णय लिया है।

अतः राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 की धारा 5 की उपधारा 2 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ग्राम बलीचा में नवीन मण्डी प्रांगण बलीचा को गौण मण्डी यार्ड स्थापित करने की घोषणा करती है जिसकी सीमाऐं निम्न प्रकार से होगीः-

पूर्व में - हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी की 100 फीट चौड़ी रोड़ पर मण्डी का द्वितीय गेट

पश्चिम में - निजी स्वमित्व की कृषि भूमि

उत्तर में - मण्डी प्रांगण फल-सब्जी

एवं दक्षिण में - देबारी- काया 200 फीट बाईपास पर मण्डी का मैन गेट

तथा इन सीमाओं के अन्दर समस्त निर्मित भवन, दुकान एवं भू-भाग आदि सम्मिलित होगें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

बृज गुप्ता,

शासन उप सचिव।

7725

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।